

कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) मुकलावा

मुकदमा नम्बर : 65

सन : 2019

सरकार बनाम दान्तार सिंह डा. सोईमा सिंह
राजस्थान 2/012NPS

निर्णय

दिनांक:- 11-09-2019

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामिल हो चुकी है। बावजूद तामिल के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक 13NAD'B के मु0न0 13 किला नं0 - के कुल 0-380 हैक्टे0 रकबा नहरी/बारानी राजकीय भूमि को फसल रबी/खरीफ ख0सं0 2076 में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मालगुजारी 8 प्रति हैक्टे0 0-380 का तावान 50 गुणा राशि 1524 के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि की फसल की फर्द कुर्की एवं फर्द निलामी प्रस्तुत करने हेतु संबंधित भू अमिलेख निरीक्षक को लिखा गया।



पटवारी हल्का की मतालबा ढालबाछ सम्बन्धित में कायम करने एवं तावान वसूल करने तथा भू-अभि0 निरीक्षक को उक्त रकबे से अप्रार्थी को बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर 'घ' में भांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। बाद तर्तीव तकमीन दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

उप तहसीलदार
मुकलावा (श्रीगंगानगर)